

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

किराया नामा

AR 952549

1005/19
 27/6/19
 R.R. Rathour
 Notary
 Jabalpur Dist.-Anuppur (M.P.)

प्रथम पक्ष/मकान मालिक:-

नंदलाल सोनी आयु 55 वर्ष पिता स्व. गोपीलाल सोनी
 निवासी जेतहरी शाना व तहसील जेतहरी जिला अनूपपुर
 ४ म 0 प्र 0 ४

द्वितीय पक्ष/किरायेदार:-


पंकज कुमार सिंह पिता श्री कृष्णा सिंह आयु 36 वर्ष नि 0
 सूर बिहार सीपतरोड बिलासपुर जिला बिलासपुर ४ 8 0
 ४ ठेकेदार-अग्नेजी शाराब ४

हम उभय पक्ष निम्नानुसार यह किरायानामा निष्पादित करा रहे हैं:-



1. यह कि भूमि ग्राम जेतहरी वार्ड नं०-03 पोस्ट जेतहरी स्थित आराजी 80 नं०-337/18 रकबा 30x60=1800 वर्गफिट में निर्मित दुकान एवं गोदाम प्रथम पक्ष के भूमि स्वामित्व व मालिकाना हक अधिकार की है।
2. यह कि उक्त वर्णित दुकान व गोदाम को जो 15x30 वर्गफिट पर स्थित है, को प्रथम पक्ष मुबलिंग 15,000/- रुपये पन्द्रह हजार रुपये मासिक किराये पर द्वितीय पक्ष को किराये पर दिया गया है।
3. यह कि विद्युत बिल द्वितीय पक्ष/किरायेदार द्वारा मीटर खपत के अनुसार बिल जमा करेगा।
4. यह कि उक्त दुकान व गोदाम की किरायेदारी दिनांक 01-04-019 से प्रारम्भ होकर दिनांक 28-02-2020 अर्थात् कुल 11 माह तक वैध होगी।
5. यह कि द्वितीय पक्ष/किरायेदार उक्त दुकान व गोदाम में सिर्फ अग्नेजी शाराब का ही संचालन करेगा अन्य अध्यात्मिक कोई कार्य नहीं करेगा तथा उक्त दुकान व गोदाम


.. 2 ..


मध्य प्रदेश शासन
 वाणिज्यिक





राज भद्रनाथ का श्री नवलाल सोनी
 आत्मज का निवासी
 मे यह पुस्तक का हस्ताक्षर प्र नवलाल सोनी
 आत्मज पुस्तक निवासी विवासी
 के पक्ष में निष्पादन करना स्वीकार करते हुए पर समक्ष
 हस्ताक्षर/अंगुली छाप अंकित किये।
 मेधावक का श्री नवलाल सोनी
 निवासी ... पहचानना स्वीकार
 किये। मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये।


 निष्पादक/शपथकर्ता



निष्पादक/शपथकर्ता



पहचानकर्ता





 Notary
 Raithour
 Raithour Dist-Anuppur(M.P.)
 27.6.19

शपथकर्ता/नवलाल सोनी व ...
 शपथ पत्र ... मुख्यतः नामा ...
 नामा/जमानत ... चुनकर लही होन।
 ... किये।


 Notary
 Raithour
 Raithour Dist-Anuppur(M.P.)
 27.6.19


 अनुभाव ...
 मध्य प्रदेश ...
 जापित ...

1/2/11

को कितनी अन्य व्यक्ति को उप किराये पर नहीं देगा।

6. यह कि यदि किंहीं कारणों से उक्त दुकान व गोदाम प्रथम पक्ष को खाली कराने की आवश्यकता हुआ तो द्वितीय पक्ष/किरायेदार को एक माह पूर्व सूचना देकर खाली करा सकेगा। इसी तरह द्वितीय पक्ष/किरायेदार भी एक माह पूर्व सूचना देकर खाली करेगा।


7. यहकि उक्त दुकान व गोदाम के पूर्व मूल स्वरूप में द्वितीय पक्ष द्वारा कोई तोड़फोड़ या परिवर्तन आदि नहीं करेगा।

अस्तु आज दिनांक 27.06.2019 को हम उभय पक्ष अपने-अपने स्वास्थ्य चित्त व शुद्ध बुद्धि की दशा में निम्न दो गवाहों की उपस्थिति में यह किराया नामा लिखाकर पद, सुन, तमकाकर अपना-अपना हस्ताक्षर अंकित कर दिये कि तनद रहे वक्त जरूरत पर काम आये।

अनूपपुर

दिनांक 27.06.2019


हस्ताक्षर-साक्षीगण-

01- नीरज सोनी पिता  लखन सोनी
नि० जेतहरी जिला अनूपपुर १०९००१


02- शरद सोनी पिता राकेश कुमार सोनी
नि० जेतहरी तहसील जेतहरी जिला
अनूपपुर १०९००१


हस्ताक्षर पक्ष/म मा लिक

नंदलाल सोनी


हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष/किरायेदार

पंकज कुमार सिंह


अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग